न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या– 62/2013–14 अन्तर्गत धारा–219 भू–राजस्व अधिनियम।

श्री उम्मेद खान

–बनाम–

श्री हासिम आदि

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री रमाकान्त रोहिला।

उपस्थिति : श्री सुभाष कुमार, आई0ए0एस0 अध्यक्ष।

बावत
मौजा लक्ष्मीपुर, परगना पछवादून,
तहसील विकासनगर, जिला देहरादून।

निर्णय

यह निगरानी तहसीलदार, विकासनगर द्वारा मूल वाद संख्या–1610/2011 अन्तर्गत धारा–34 भू–राजस्व अधिनियम उम्मेद खान बनाम जहूर हसन में पारित आदेश दिनांक 11–04–2011 के विरूद्व प्रतिपक्षी हासिम की ओर से प्रस्तुत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र–वर्ष 2012 अन्तर्गत धारा–201 भू–राजस्व अधिनियम में तहसीलदार, विकासनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–07–2012 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता एवं प्रतिपक्षी संख्या–2 व 3 ने प्रतिपक्षी संख्या–3 जहूर हसन से प्राप्त विकय पत्र 12–10–2011 के आधार पर नामान्तरण हेतु तहसीलदार, देहरादून के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिनांक 12–08–2011 प्रस्तुत किया। तहसीलदार, विकासनगर ने अपने निर्णय दिनांक 11–04–2012 से नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व प्रतिपक्षी हासिम ने तहसीलदार, विकासनगर के समक्ष दिनांक 21–06–2012 को पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि जहूर हसन ने सहखातेदारों की सहमति के बिना विकय पत्र सम्पादित किया है और सहखातेदारों के मध्य कोई घरेलू बँटवारा नहीं हुआ है। विकेता ने अपने हिस्से से अधिक भूमि सहखातेदारों की सहमति के बिना विकय कर दी है। तहसीलदार, विकासनगर ने अपने आदेश दिनांक 10–07–2012 से पूर्व पारित आदेश दिनांक 11–04–2012 को प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक स्थगित करते हुए वाद में अग्रिम तिथि नियत कर दी। इस आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता ने यह निगरानी इस न्यायालय में योजित की है।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता एवं उत्तरदाता संख्या–1 श्री हासिम के तर्क सुने गये।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने तर्क दिया कि निगरानीकर्ता एवं उत्तरदाता संख्या–2 व 3 ने वादग्रस्त भूमि विकय पत्र दिनांक 12–10–2011 से जहूर हसन पुत्र स्व0 मौहम्मद अली से कय की थी तथा विकीत भूमि का कब्जा निगरानीकर्ता एवं उत्तरदाता संख्या–2 व 3

को मौके पर करा दिया था। निगरानीकर्ता एवं उत्तरदाता संख्या–2 व 3 का नाम तहसीलदार, विकासनगर के आदेश दिनांक 11–04–2012 से राजस्व अभिलेखों में बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हुआ। उत्तरदाता संख्या–1 ने वादग्रस्त भूमि में अपना सम्पूर्ण 1/9 भाग विक्रय पत्र दिनांक 16–05–98 एवं 17–11–97 से विक्रय कर चुका है और उसका वादग्रस्त भूमि में कोई भाग शेष नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उत्तरदाता संख्या–1 के पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र को धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के अभाव में आदेश दिनांक 11–04–2012 को स्थगित कर दिया। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश एकपक्षीय आदेश है। उत्तरदाता संख्या–1 ने तहसीलदार न्यायालय में धारा–5 मियाद अधिनियम का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण है एवं निरस्त होने योग्य है। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने आर0डी0(एच) 1999(90) की विधिक व्यवस्था भी प्रस्तुत की गई।

उत्तरदाता संख्या–1 श्री हासिम द्वारा स्वंय तर्क दिया गया कि वादग्रस्त भूमि निगरानीकर्ता एवं उत्तरदाता संख्या–2 व 3 के कब्जे की भूमि नहीं है। उत्तरदाता के हिस्से में 3 बीघा भूमि शेष बचती है। अवर न्यायालय द्वारा ग्रामसभा अथवा खातेदारों को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तरदाता ने समयावधि के अन्तर्गत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उत्तरदाता ने सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर के न्यायालय में वादग्रस्त भूमि के बँटवारे के सम्बन्ध में वाद संख्या–72/2011–12 अन्तर्गत धारा–176/177 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम हासिम बनाम अली शेर आदि योजित किया हुआ है जिसमें उत्तरदाता संख्या–2 व 3 को भी पक्षकार बनाया गया है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश 10–07–2012 नियमानुसार है एवं विधि अनुसार पारित किया गया है।

अवर न्यायालय की वाद पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में निगरानीकर्ता एवं उत्तरादाता संख्या–2 व 3 द्वारा जहूर हसन से भूमि विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई थी। पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 12–10–2011 के आधार पर उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि के नामान्तरण हेतु तहसीलदार, विकासनगर के न्यायालय में नामान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे तहसीलदार, विकासनगर ने अपने आदेश दिनांक 11–04–2012 से स्वीकार किया। इस आदेश के पुनर्स्थापन हेतु उत्तरदासा संख्या–1 श्री हासिम ने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 21–06–2012 को प्रस्तुत किया गया। इस पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, विकासनगर ने आदेश दिनांक 10–07–2012 पारित करते हुए पूर्व पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 11–04–2012 को पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक स्थगित किया गया जिससे क्षुब्ध होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अवर न्यायालय की वाद पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, विकासनगर के निर्णयादेश दिनांक 11–04–2012 का अवलोकन किया गया। निर्णयादेश की द्वितीय पंक्ति में तहसीलदार ने इस्तहार जारी होने पर कोई आपत्ति प्राप्त न होने का उल्लेख किया है, परन्तु तहसीलदार की

वाद पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस वाद में कोई इश्तहार जारी ही नहीं हुआ है। इश्तहार जारी न होने की दशा में भी तहसीलदार द्वारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 11–04–2012 त्रुटिपूर्ण एवं विधिसम्मत नहीं है। धारा–34 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नामान्तरण वाद में उद्घोषणा पत्र जारी होना एक महत्वपूर्ण प्रकिया है जिसका पालन तहसीलदार, विकासनगर द्वारा नहीं किया गया है। तहसीलदार द्वारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 11–04–2012 के विरूद्व उत्तरदाता संख्या–1 ने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसपर अभी साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का निगरानीकर्ता को पर्याप्त अवसर विद्यमान है। जहाँ तक अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक व्यवस्था आर0डी0(एच) 1999(90) पृष्ठ–14 का प्रश्न है तो इस प्रकरण में चूँकि इश्तहार जारी ही नहीं हुआ है तो तहसीलदार द्वारा पारित नामान्तरण वाद की जानकारी सहखातेदारों को किस प्रकार होती और तहसीलदार द्वारा पारित निषेधाज्ञा आदेश से किसी भी पक्ष को किस प्रकार की हानि हो सकती है। इसके अतिरिक्त निगरानीकर्ता ने तहसीलदार न्यायालय में निषेधाज्ञा आदेश के विरूद्व कोई आपत्ति प्रस्तुत की है इस प्रकार का कोई अभिलेख पत्रावली पर मौजूद नहीं है। निगरानीकर्ता तहसीलदार द्वारा पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र पर पारित निषेधाज्ञा आदेश के विरूद्व तहसीलदार न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र हैं। इसके अतिरिक्त खातेदारों के मध्य बँटवारे का वाद भी अभी गतिमान है जिसमें सभी का हिस्सा एवं स्वत्व निर्धारित होना है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि परिलिक्षित नहीं है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में निगरानी बलयुक्त न होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

बलयुक्त न होने के कारण निगरानी निरस्त की जाती है।

दिनांकः 30 **जुलाई, 2014**

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष,
राजस्व परिषद।